

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

:: कार्यालय आदेश ::

.....
~~कीप इन्टरनेशनल स्कूल~~
 को हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम से राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान मान्यता एवं अनुदान नियम-1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सत्र 2004-2005 से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता उनके आवेदन एवं निरीक्षण दल की अभिशंसा पर दी जाती है।

मान्यता तथ्य/नियमों की पालना न करने अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

शर्तें :-

1. कक्षा अनुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।
2. छात्र संख्या निर्धारित मानदण्डानुसार होनी चाहिये।
3. कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्ते आदि की सुविधा दी जाये।
4. भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।
5. 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आय व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय में सांख्यिकी शाखा में प्रस्तुत करें।
6. शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत शिक्षा से वंचित परिक्षेत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
7. शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं प्रमाण पूर्णतया वास्तविक एवं सही होने चाहिये।
8. विभागीय आदेशों एवं नियमों की शत-प्रतिशत पालना की जानी आवश्यक है।
9.

Ed
 जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रा. शिक्षा, जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/जय/प्रा.शि./सामान्य/फा. 94 / 142 दिनांक 31.3.04
 प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. शिक्षा उपनिदेशक प्रा.शि. (जयपुर वृत्त), जयपुर।
2. सचिव, ~~कीप इन्टरनेशनल स्कूल~~, शिक्षा पथ, मानसोहर
3. रक्षित पत्रावली

Principal
 Vardhman International School
 JAIPUR

Manager
 Vardhman International School
 JAIPUR

Ed
 जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रा. शिक्षा, जयपुर

मान्यता कोड : RJJAI10504

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी JAIPUR, राजस्थान

मि.शि.ज. प्रारि. जयमान्यता/फा-85/363/2017-18 (संशोधित)

क्रमांक:

संशोधित

दिनांक 27/03/2018

सचिव

प्रबंध समिति

Deep International School

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 17525 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Deep International School पत्ता Sector-3, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JAIPUR NN PART2 ब्लॉक JAIPUR WEST को शैक्षिक सत्र 2017-18 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	Deep International School
स्वीकृत नवीन नाम	Vardhman International School

- मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमजोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटवाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।
- विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

- विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
- कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
- किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;
- 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
- अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाएं;

जाए;

Principal
Vardhman International School
JAIPUR

Manager
Vardhman International School
JAIPUR

301
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

General Manager, Vardhman International School, (P.55905), (Sector-3, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur)

Vardhman International School, (P.55905), (Sector-3, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur)

27/03/2018

मान्यता कोड : RJJAI10504

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी JAIPUR , राजस्थान

- (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और
- (VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

27/3/18
जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

Principal
Vardhman International School
JAIPUR

Manager
Vardhman International School
JAIPUR